COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
CANCELLED

(171)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म०प्र०

प्र०क्र० -II/07 R.M.

R 977-II/07

श्री ... दिनांक 03 ... 7-6-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

ओ० पी० सिंह
एडवोकेट
हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर

(1) जमादार

(2) सुग्रीव

(3) रामराज पुत्रगण श्री शिवमूरति कुर्मी

(4) मुन्नीलाल तनय श्री निचकू कुर्मी

(5) मु० बैना निहटी पति हिन्छलाल कुर्मी

(6) सुखदेव आयु 25 साल

(7) राकेश आयु 20 साल

(8) राजेश आयु 15 साल

(9) मुकेश आयु 12 साल सभी के पिता हिन्छलाल कुर्मी ना०बा० वली माता निहटी पति हिन्छलाल कुर्मी

(10) रामप्रकाश तनय रामेश्वर कुर्मी सभी निवासी ग्राम गोरी तहसील हनुमना जिला रीवा (म० प्र०)

--- निगरानीकर्ता

ब नाम

कैंठ
(1) रामपति तनय भारत पटेल

(2) रामप्रताप तनय कन्धे पटेल दोनों निवासी ग्राम गोरी तहसील हनुमना जिला रीवा

----2

(3) लालमणि तनय श्री बिरऊ यादव निवासी ग्राम बेलौठी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

--- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 210/अपील/06-07 आदेश दिनांक 4-6-07

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959.

=======0=======

मान. महोदय,

संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2359-एक/20000 आदेश दिनांक 18-10-2002 के परिपालन में नायब तहसीलदार तहसील हनुमना जरिए प्रकरण क्रमांक 76 अ 74/2003-04 आदेश दिनांक 21-6-04 द्वारा अभिलेख में सुधार किया जाकर निगरानीकर्तागण का नाम अभिलेख में पूर्व स्वत्वाधिकारी की हैसियत से दर्ज कराया जाकर अभिलेख अद्यतन किया गया जिसकी अपील या निगरानी गैर निगरानीकर्ता द्वारा न की जाकर नायब तहसीलदार तहसील हनुमना के समक्ष खसरा सुधार का आवेदन पत्र दिया गया जो प्रकरण क्र0 17 अ 6 अ/04-05 के रूप में पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 29-12-05 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील गैर निगरानीकर्तागण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई जिसमें निगरानीकर्तागणों को बिना सम्यक सूचना के ही धारा 5 का आवेदनपत्र बिना समुचित कारण ~~00000~~ बताए स्वीकार कर लिया गया तथा

-------3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 977—दो / 2007 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-8-17	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है प्रकरण का अवलोकन किया गया। न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 6—1—2012 के अनुसार अनावेदक कमांक—1 की मृत्यु हो चुकी है एंव इसी पेशी पर आवेदकगण के वारिसान की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के आदेश हुये हैं जिसके लिये आगामी पेशी 13—4—12 नियत की गई। पेशी 14—4—12 को मृतक के वारिसान की सूची प्रस्तुत नहीं की गई। इसके वाद वारिसान की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निम्न तिथियॉ दी गई :— 25—7—12, 18—10—12, 28—1—13, 10—5—13, 29—7—13, 30—10—13, 16—1—14, 24—4—14, 4—8—14, 10—11—14, 4—2—14, 12—5—15, 12—8—15, 13—10—15, 17—12—15, 4—2—16, 27—5—16, 9—6—16 अंतिम अवसर । इसके उपरांत प्रकरण 27—7—16, 28—7—16, 24—8—16, 9—11—16, 6—1—17, 23—2—17 एंव 30—3—17 को सुनवाई में लिया गया। इस प्रकार मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु 5 वर्ष की अवधि में 25 पेशियॉ नियत की गई , किन्तु आज तक मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लाया गया। पक्षकार व्दारा प्रकरण का पेटा पूर्ण न करने के कारण प्रकरण इसी—स्तर पर निरस्त किया जाता है। सदस्य	